सं0–131/xxviii (3)– 5–2006–51/2004

प्रेषक,

अतर सिंह,
उप सचिव,
उत्तरांचल शासन ।

सेवा मे,

मुख्य चिकित्साधिकारी,
देहरादून ।

चिकित्सा अनुभाग–5 देहरादूनः दिनांकः 24 मार्च, 2006

विषयः प्रा0स्वा0 केन्द्र कुंजा, जनपद देहरादून के भवन निर्माण हेतु पुनरीक्षित लागत की स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0–7प/1/पी0एस0सी0/37/2003/ 3217 दिनांक 27.01.2006 के संदर्भ में तथा शासनादेश सं0–170/चि0–3–2004–51/2004 दिनांक 31.03.2004 जिसके द्वारा प्रा0स्वा0केन्द्र कुंजा, जनपद देहरादून के भवन निर्माण हेतु रू0 33,00,000.00(रू0 तैंतीस लाख) की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी थी के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय द्वारा वित्तीय वर्ष 2005–06 में प्रा0स्वा0केन्द्र कुंजा, जनपद देहरादून के भवन निर्माण हेतु भवन की लागत रू0 33,35,000.00 (रू0 तैंतीस लाख पैंतीस हजार मात्र) के सापेक्ष रू0 37,40,000.00 (रू0 सैंतीस लाख चालीस हजार मात्र) की पुनरीक्षित लागत पर प्रशासनिक तथा वित्तीय अनुमोदन प्रदान करते हुए चालू वित्तीय वर्ष में अवशेष निर्माण कार्य को पूर्ण करने हेतु संलग्नानुसार रू0 4,05,000.00 (रू0 चार लाख पॉच हजार मात्र) की धनराशि के व्यय की सहर्ष स्वीकृति निम्नांकित शर्तानुसार प्रदान की जाती है।

2– उक्त कार्य की लागत किसी भी दशा में पुनरीक्षित नहीं की जायेगी, शेष शर्तें पूर्ववत रहेगी ।

3– प्रत्येक कार्य पर धनराशि का व्यय सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्रदान कर किया जायेगा तथा कार्य की अनुमोदित लागत तक ही रखा जाएगा ।

4– उक्त धनराशि कोषागार से तत्काल आहरित की जायेगी तथा निर्माण इकाई परियोजना प्रबन्धक उ0प्र0सी0 एण्ड डी0 एस0जल निगम, उत्तरांचल को उपलब्ध करायी जायेगी । कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व सक्षम स्तर का अनुमोदन अवश्य प्राप्त कर लिया जाये । स्वीकृत धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में इसी वित्तीय वर्ष के भीतर सुनिश्चित किया जायेगा । अतिरिक्त धनराशि की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय नहीं किया जायेगा ।

5– स्वीकृत धनराशि के आहरण से संबंधित बाउचर संख्या व दिनांक की सूचना तत्काल उपलब्ध करायी जायेगी । स्वीकृति संबंधी मूल शासनादेश की सभी शर्तें यथावत रहेगी ।

6— स्वीकृत धनराशि के आहरण से संबंधित हस्त पुस्तिका में उल्लिखित प्राविधानों एवं बजट मैनुअल व शासन द्वारा मितव्ययता के संबंध में समय समय पर निर्गत आदेशों के अनुसार किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा ।

7— धनराशि उन्हीं योजनाओं में व्यय की जाय जिसके लिए स्वीकृत की जा रही है।

8— स्वीकृत धनराशि को वित्तीय एवं भौतिक प्रगति आख्या प्रत्येक दशा में प्रत्येक माह की 07 तारीख तक शासन को उपलब्ध करायी जायेगी ।

9— धनराशि का आहरण/व्यय आवश्यकतानुसार एवं मितव्यता को ध्यान रखकर किया जाय।

10— उक्त व्यय वर्ष 2005-06 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-12-के लेखाशीर्षक 4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत 02 ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें-103 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र-91 जिला योजना-9101-प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण किया जाना (जिला योजना) 24- वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा ।

10- यह आदेश वित्त विभाग के अशा0सं0-236/वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/2006 दिनांक 22.03.2006 में प्राप्त सहमति से जारी किये जा रहे है ।

संलग्नक: यथोक्त ।

भवदीय,

(अतर सिंह)
उप सचिव

सं0- 131(1)/xxviii-(3)-5-2006-51/2004 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1— महालेखाकार, उत्तरांचल,माजरा देहरादून ।
2— निदेशक, कोषागार, उत्तरांचल, देहरादून ।
3— वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून ।
4— जिलाधिकारी, देहरादून ।
5— महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तरांचल।
6— परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0सी0एण्ड डी0एस0 जल निगम उत्तरांचल ।
7— बजट राजकोषीय, नियोजन व संसाधन निदेशालय सचिवालय, देहरादून ।
8— निजी सचिव मा0मुख्यमंत्री ।
9— वित्त अनुभाग-2/नियोजन विभाग /एन0आई0सी0 ।
10— आयुक्त कुमायुं/गढवाल मण्डल, उत्तरांचल
11— गार्ड फाईल ।

आज्ञा से

(अतर सिंह)
उप सचिव

शासनादेश सं0– 131/xxviii–(3)–5–2006–51/2004 दिनांक 24.3.2006 का संलग्नक

(धनराशि लाख रू0 में)

क्रम सं0	योजना का नाम	मूल लागत	पुनरीक्षित लागत	अब तक अवमुक्त की गयी धनराशि	वित्तीय वर्ष 205–06 में स्वीकृत धनराशि
1	प्रा0स्वा0केन्द्र बुल्ला जनपद देहरादून का भवन निर्माण	33.35	37.40	33.35	4.05
	योग	33.35	37.40	33.35	4.05

(रू0 चार लाख पांच हजार मात्र)

(अतर सिंह)
उप सचिव